118

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिव्यू प्रकरण क्रमांक /2017 PBR/पुनर्विलोकन/खरगौन/आब/2017/3993

मैसर्स अग्रवाल डिस्टलरीज प्रा.लि. बड़वाह,
जिला–खरगौन (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर
2– कलेक्टर खरगौन
3– उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इन्दौर
4– जिला आबकारी अधिकारी जिला खरगौन

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3558/पी.बी.आर./2015 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62(2) के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन / खरगोन / आ.अ./ 2017 / 3993

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–12–2017	आवेदक की ओर से श्री के.के द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 13–8–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 3558–पीबीआर / 15 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण कमांक 8038–पीबीआर / 15 में दिनांक 10–10–17 को आदेश पारित कर इस अपील प्रकरण कमांक 3558–पीबीआर / 15 पर भी लागू किया गया है, जबकि उक्त दोनों प्रकरणों में दण्ड की राशि पृथक–पृथक है, इस कारण आवेदक को कार्यवाही करने में कठिनाई आ रही है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अतः मूल आदेश के साथ अपील प्रकरण कमांक 3558–पीबीआर / 15 अपील मेमों के अग्रभाग की प्रति संलग्न की जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	